रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-25062024-254931
CG-MP-E-25062024-254931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2024/ज्येष्ठ 31, 1946
No. 429] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2024/JYAISHTHA 31, 1946

## राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश

## अधिसूचना

## अध्यादेश

मध्य प्रदेश, 11 जून, 2024

**सं. सीनेट -12/12/2023.**—राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 31 और धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान की सीनेट राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, नामत: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन अध्यादेशों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, मध्य प्रदेश अध्यादेश, 2023 होगा।

(2) ये अध्यादेश शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन अध्यादेशों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'अधिनियम' का अर्थ राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) है;

(ख) 'शैक्षिक' का तात्पर्य शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों से है जैसे शिक्षण, अध्ययन, अभ्यास, अनुसंधान और प्रकाशन;

(ग) 'अकादमिक कैलेंडर' का अभिप्रेत शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यक्रम से है;

(घ) 'शैक्षिक कार्यक्रम' में शैक्षणिक क्रियाकलापों के अनुक्रम सम्मिलित हैं; जिसके परिणामस्वरूप डिग्री, डिप्लोमा या एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है;

(ङ) 'शैक्षिक वर्ष' का तात्पर्य ग्रीष्मावकाश या शीतकालीन अवकाश सहित के दो नियमित सेमेस्टर से है।

(च) 'अभ्यर्थी' से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जो संस्थान के किसी भी स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टोरल, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करता है;

(छ) 'प्रमाण-पत्र' का तात्पर्य सीनेट द्वारा यथाअनुमोदित एक वर्ष तक की अवधि का संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी शैक्षणिक कार्यक्रम से है;

(ज) 'दीक्षांत' का तात्पर्य संस्थान के दीक्षांत समारोह से है;

(झ) 'पाठ्यक्रम' में विषयों का ऐसा क्रम शामिल है, जो एक सेमेस्टर के दौरान पूरे किए जा सकते है;

(ञ) 'कार्यक्रम की पाठ्यचर्या' का तात्पर्य निहित पाठ्यक्रमों के समूह और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से है;

(ट) 'डिग्री' का तात्पर्य बैचलर ऑफ डिजाइन, मास्टर ऑफ डिजाइन तथा परिषद् द्वारा अनुमोदित ऐसी ही किसी अन्य डिग्री से है;

(ठ) 'ऐच्छिक' का तात्पर्य विशेषज्ञ क्षेत्र के विकल्पों में से प्रस्तावित विषय से है;

(ड) 'परीक्षा' का तात्पर्य छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया से है;

(ढ) 'श्रेणी' (ग्रेड) का तात्पर्य एक अक्षर से दर्शाए जाने वाली श्रेणी से है जो एक पाठ्यक्रम में छात्र के प्रदर्शन को इंगित करती है;

(ण) 'जूरी' अथवा 'जूरी पैनल' का तात्पर्य किसी सेमेस्टर के दौरान तथा उसके अंत में छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए संकाय या बाहरी विशेषज्ञों के पैनल से है;

(त) 'छात्र' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो डॉक्टोरल या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातक डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, के लिए पंजीकृत है तथा इसमें संस्थान के पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रमाण-पत्र कार्यक्रम में पंजीकृत छात्र शामिल हैं;

(थ) 'आवासीय हॉल' का तात्पर्य कार्यक्रमों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए संस्थान द्वारा अपने परिसर में स्थापित आवासीय हॉल अथवा छात्रावास से है।

(2) शब्द और पद, जिनका प्रयोग यहां किया गया है और इन नियमों में परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम या संविधि में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमश: उन्हें अधिनियम या संविधि में दिया गया है;

(3) यदि इन अध्यादेशों में प्रयुक्त या परिभाषित शब्दों और पदों तथा संविधि या अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित शब्दों या पदों में अंतर होता है तो संविधि या अधिनियम के संबंधित प्रावधान मान्य होंगे।

**3. छात्रों का नामांकन –** (1) प्रत्येक छात्र जिसे संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, उसे निर्धारित समय-सीमा में यथा अपेक्षित शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को शैक्षणिक कार्यालय में जमा कराना होगा, ऐसा न करने पर उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(2) प्रत्येक छात्र, जिसे संस्थान के किसी कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उसे निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(3) शुल्क और अन्य राशि का भुगतान करने तथा सभी अनिवार्य दस्तावेज का सत्यापन करने के पश्चात संस्थान छात्र को एक नामांकन नंबर प्रदान करेगा।

(4) उक्त नामांकन संख्या, संबंधित छात्र के लिए संस्थान के सभी अभिलेखों में स्थायी संदर्भ संख्या होगी।

(5) कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक पंजीकरण तारीख, आमतौर पर छात्र द्वारा शुल्क के भुगतान के बाद संबंधित पाठ्यक्रम में औपचारिक रूप से पंजीकृत होने की तारीख होगी जिसे कार्यक्रम से संबंधित सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए प्रवेश की तारीख माना जाएगा।

(6) किसी भी छात्र के नामांकन को, संस्थान के अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार, अनुशासनात्मक

आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

**4. शिक्षण और अन्य शुल्क तथा जमा राशि –** विनिर्दिष्ट शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा मेस प्रभार को छोड़कर जमा राशि जैसा कि शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया हो, सभी छात्रों द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष या सेमेस्टर के आरंभ में देय होगी जैसा कि संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

**5. छात्रों की उपस्थिति, अनुपस्थिति और अवकाशः** (1) पाठ्यक्रम मूल्यांकन, सेमेस्टर की समाप्ति पर जूरी हेतु पात्र होने के लिए प्रत्येक छात्र की, सभी व्याख्यान, ट्यूटोरियल; स्टूडियो कार्य; कार्यशाला अभ्यास सत्रों; फील्ड वर्क; सेमिनार और इस तरह के अन्य इंटरफेस में न्यूनतम उपस्थिति अपेक्षित होगी जैसा कि संस्थान की शैक्षिक सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) चिकित्सा कारणों को छोड़कर, किसी अन्य छुट्टी अथवा अनुपस्थिति के लिए विधा प्रमुख से पूर्वानुमोदन लेना होगा।

(3) अनुमोदित अवकाश, यदि कोई हो, सहित न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति वाले विद्यार्थी सेमेस्टर और मूल्यांकन में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

**6. छात्रों का अनुशासन और आचरण** - (1) सभी छात्रों को संस्थान के भीतर एवं बाहर अनुशासन का पालन करते हुए मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है, और वे ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे जो संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती हैं, ।

(2) प्रत्येक छात्र इस प्रयोजन के लिए बनाए गए संबंधित अध्यादेश में निर्धारित आचार संहिता का पालन करेगा।

(3) किसी छात्र द्वारा अनुशासनहीनता के संबंध में, संबंधित अध्यादेश में निर्धारित मानदंड और प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

**7. शैक्षणिक कैलेंडर:** अनुशासन प्रमुखों के परामर्श से क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) और डीन, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले, संस्थान और उनके कैंपस के शिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों के शैक्षिक कैलेंडर को तैयार करेगा और अंतिम रूप देगा।

**8. फाउंडेशन प्रोग्राम- (1)** बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम, एक वर्ष के समान फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ शुरू होगा।

(2) फाउंडेशन प्रोग्राम छात्रों को आवश्यक दिशा प्रदान करने के साथ/-साथ उन्हें प्रेरित करेगा और उन्हें सुविधाएं तथा अनुभव भी प्रदान करेगा ताकि उनकी रचनात्मकता एवं डिजाइन संबंधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।

(3) बैचलर ऑफ डिजाइन पाठ्यक्रमों के छात्रों को साझा फाउंडेशन प्रोग्राम के अंत में प्रत्येक विधा में निर्धारित सीटों की संख्या के लिए विषय के विकल्प का आबंटन उनकी योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

**9. छात्रों का रिकॉर्ड रखना -** (1) रजिस्ट्रार संबंधित कैंपस में शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखेगा और ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा। व्यक्तिगत रिकॉर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

(क) प्रवेश के समय छात्र द्वारा भरी गई व्यक्तिगत जानकारी;

(ख) माता-पिता और स्थानीय अभिभावक के बारे में जानकारी;

(ग) प्रवेश के समय प्रस्तुत की गई चिकित्सकीय जानकारी और फिटनेस प्रमाण-पत्र;

(घ) छात्र द्वारा प्रस्तुत की गई सभी वचनबद्धताएं;

(ङ) छात्र को जारी किए गए किसी चेतावनी-पत्र या ज्ञापन आदि की प्रति;

(च) छात्र / पिता / अभिभावक के साथ पत्राचार, यदि कोई हो;

(छ) सभी मूल्यांकन ग्रेड शीट्स, छात्रों को जारी शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट और अन्य प्रमाणपत्र या पत्रों की प्रति;

(ज) फीस के भुगतान सहित छात्रावास में प्रवेश के रिकार्ड; और

(झ) संस्थान की फीस के भुगतान का रिकार्ड और छात्रों के अध्ययन एवं कैम्पस लाइफ से संबंधित अन्य सभी जानकारी।

**10. परीक्षाओं का संचालन**: (1) संस्थान द्वारा सेमेस्टर के दौरान और अंत में, छात्रों के लिए संस्थान में क्रेडिट आधारित मूल्यांकन और आकलन प्रणाली की निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगीः-

(क) क्रेडिट्स आधारित मूल्यांकन प्रणाली, जिसमें क्रेडिट इकाइयों के बीच सह-संबंध, साप्ताहिक इकाई और घंटे प्रति सप्ताह के आधार पर समरूपी अध्ययन का भार शामिल हैं;

(ख) अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम को क्रेडिट प्रदान किया गया है;

(ग) सह-पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए प्रदान किया गया क्रेडिट;

(घ) ग्रेडिंग स्केल सहित ग्रेडिंग प्रणाली;

(ङ) शैक्षणिक मूल्यांकन के घटक, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य और जूरी सहित;

(च) किसी भी पाठ्यक्रम के मूल्यांकन एवं आकलन के मानक और चरण;

(छ) अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए छात्र की प्रोन्नति को शासित करने वाली पूर्व अपेक्षाएं; और

(ज) इस प्रकार के अन्य मानदण्ड, जैसा कि संस्थान द्वारा अधिसूचित किया जाएं;

(2) अध्ययन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को अलग-अलग पाठ्यक्रम स्तर, सेमेस्टर के अंत में जूरी स्तर और स्नातक परियोजना स्तर पर क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करना होगा।

(3) इन अध्यादेशों के लागू होने की तारीख से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु, क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को लागू किया जाना तब तक वैध होगा और सभी कार्यक्रमों के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए लागू होंगे जब तक कि शैक्षिक सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर सीनेट द्वारा क्रेडिट और मूल्यांकन मानदंडों को तैयार और लागू नहीं कर दिया जाता।

**11. स्नातक डिजाइन परियोजना –** प्रत्येक विद्यार्थी संबंधित कार्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर में डिजाइन परियोजना बनाएगा तथा डिजाइन के स्वतंत्र पेशेवर के रूप में अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करेगा।

**12. शिकायत निवारण समिति -** (1) शिक्षण से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए निदेशक द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित निवारण समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति में कम से कम तीन सदस्य निदेशक द्वारा संकाय से नामांकित होंगे;

(3) ऐसे संकाय सदस्य, जिनके विरूद्ध कोई शिकायत होगी, उन्हें ऐसी समिति के एक सदस्य के रूप में नामांकित नहीं किया जाएगा।

(4) शैक्षणिक मामलों से संबंधित किसी भी शिकायत को पहले क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित अनुशासन अध्यक्ष या संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके शिकायत को हल करेगा, समाधान न होने पर शिकायत को शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति को सौंपा जाएगा।

(5) शिकायत निवारण समिति क्रियाकलाप अध्यक्ष (शिक्षा) को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(6) शिकायत निवारण समिति की सिफारिशों को संबंधित छात्र को शिकायत दर्ज करने के एक माह के भीतर सूचित किया जाएगा।

**13. विधा का आबंटन –** (1) छात्र को दूसरा सेमेस्टर समाप्त होने से पूर्व, स्नातक कार्यक्रम में विषय की प्राथमिकता भरने की आवश्यकता होगी और अकादमिक कार्यालय, विधा के प्रमुख, फाउंडेशन स्टडीज के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को शुरू करेगा।

(2) निम्नलिखित कारकों पर विचार करके विधा का आबंटन किया जाएगा:

(क) प्रथम वर्ष में प्राप्त वार्षिक ग्रेड प्वाइंट औसत के आधार पर योग्यता सूची का क्रम।

(ख) छात्र द्वारा प्रस्तुत विधा वरीयता सूची।

(ग) संबंधित विधा में सीटों की उपलब्धता।

(3) छात्रों के अंक समान होने की स्थिति में, विषयों के आबंटन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे:

(क) वार्षिक ग्रेड प्वाइंट औसत में बराबरी के मामले में, दूसरे सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(ख) दूसरे सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत के समान रहने की स्थिति में, प्रथम सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(ग) प्रथम सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत के भी समान रहने की स्थिति में, द्वितीय सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(घ) द्वितीय सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड प्वाइंट औसत के भी समान रहने की स्थिति में, प्रथम सेमेस्टर के कोर्स ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(ड.) प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट औसत के समान रहने की स्थिति में, द्वितीय सेमेस्टर जूरी ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(च) द्वितीय सेमेस्टर के जूरी ग्रेड प्वाइंट औसत के समान रहने की स्थिति में, प्रथम सेमेस्टर जूरी ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(छ) प्रथम सेमेस्टर के जूरी ग्रेड प्वाइंट औसत के समान रहने की स्थिति में, द्वितीय सेमेस्टर कोर्स ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(ज) यदि द्वितीय सेमेस्टर कोर्स के ग्रेड प्वाइंट औसत भी समान हों, तो प्रथम सेमेस्टर कोर्स ग्रेड प्वाइंट औसत की जांच की जाएगी।

(झ) प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम ग्रेड प्वाइंट औसत के समान रहने की स्थिति में, अंतिम निर्णय के लिए संस्थान लॉटरी प्रणाली का पालन करेगा।

**14. अध्ययन पाठ्यक्रम** - (1) संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान संविधि, 2023 में उल्लिखित विभिन्न डिजाइन विषयों में बैचलर ऑफ डिज़ाइन; मास्टर ऑफ डिजाइन; डॉक्टोरल डिग्री; डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा :-

(2) स्नातक कार्यक्रमों में आठ सेमेस्टर होंगे, जो दो सेमेस्टर के समान फाउंडेशन कार्यक्रम के साथ शुरू होंगे और उसके बाद संकाय स्ट्रीम या विशेष विषयों में छह सेमेस्टर होंगे, जिनमें से अंतिम सेमेस्टर में स्नातक परियोजना शामिल होगी।

(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में संकाय स्ट्रीम या विशेष विषयों में पांच सेमेस्टर शामिल होंगे, जिसमें से अंतिम सेमेस्टर में स्नातक परियोजना शामिल होगी।

**15. शैक्षणिक सिद्धांत :** (1) सभी अध्यापन पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्य विवरण और शिक्षण या शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्थान द्वारा अपनाए गए तरीकों में अभिनव सिद्धांत, अनुसंधान और कौशल की औचित्यपूर्ण, तार्किक और क्रमिक अभिनव सिद्धांत प्रक्रिया शामिल होंगी, जिसमें डिजाइन समस्याओं के लिए बहु-समाधान के दृष्टिकोण, विश्लेषण और दृश्यपरकता की व्यवहारिक और सैद्धांतिक अवधारणा, डिजाइन परियोजनाओं के लाइव एक्सपोजर और फील्ड अनुभव पर जोर दिया गया है, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करना है, नामत: -

(क) स्वतंत्र और समग्र रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना;

(ख) रचनात्मक अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से अभिनवीकरण एवं शिक्षण;

(ग) सांस्कृतिक विविधता के लिए संवेदनशीलता और समझ विकसित करना;

(घ) समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की उपयुक्तता विकसित करना;

(ङ) अनुभवात्मक शिक्षण के लिए अवसरों का एकीकरण करना,

(च) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में रणनीतिक डिज़ाइन कार्यक्रम के संदर्भ में पर्यावरण, तकनीकी और सामाजिक नीति संबंधी मुद्दों के साथ डिज़ाइन शिक्षण को सुदृढ़ तथा एकीकृत बनाना;

(छ) जैव विविधता, संस्कृति और शिल्प की विशिष्ट शक्तियों का उपयोग करना;

(ज) डिज़ाइन आधारित अनुसंधान के लिए अवसर उत्पन्न करना;

(झ) डिजाइन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना;

(ञ) समाज के हित के लिए डिजाइन की क्षमता का प्रसार करना।

(2) संस्थान द्वारा प्रस्तावित सभी शिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित को शामिल करने के लिए चलाए जाएंगे, नामत: -

(क) व्यवहार्य उत्पादों और सेवाओं के लिए संस्कृति अंतरण हेतु डिज़ाइन के प्रति एक अंतर-विषयक दृष्टिकोण;

(ख) वास्तविक अनुभव के माध्यम से मजबूत कौशल आधार विकसित करना;

(ग) संरचनाबद्ध इंटर्नशिप और डिज़ाइन परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक जीवन से जुड़ी प्रोफेशनल स्थितियों के लिए अवसर, डिज़ाइन की प्रक्रिया और विभिन्न डिज़ाइन विधाओं के अनुप्रयोग के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि;

(घ) डिज़ाइन के सामाजिक और नैतिक आयाम के बारे में जागरूकता पैदा करना;

(ङ) मूल्य आधारित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक डिज़ाइन, और

(च) डिज़ाइन शिक्षा और व्यवहार में वैश्विक दृष्टिकोण।

(3) संस्थान के शिक्षण कार्यक्रम की समग्र संरचना सिद्धांत, कौशल, डिज़ाइन परियोजना और फील्ड अनुभव, उद्योग पर हितधारकों के फीडबैक, बाजार की आवश्यकता, अत्याधुनिक डिज़ाइन स्टूडियो, कौशल और अभिनव प्रयोगशालाएं, ज्ञान प्रबंधन केंद्र, और ऐसी अन्य संबंधित अवसंरचनागत सुविधाओं का संयोजन होगी।

**16. विद्यार्थियों का प्रवेश** - (1) बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों के लिए पात्रता -

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, बैचलर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो, वे भी बैचलर ऑफ डिज़ाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उनके द्वारा संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पूर्व पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

(2) मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों के लिए पात्रता -

(क) संस्थान द्वारा प्रस्तावित मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए सीनेट द्वारा विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में बैचलर डिग्री का होना अनिवार्य है।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में बैठे हों और जिनका परिणाम मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय घोषित नहीं किया गया हो वे भी मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी यदि चयनित होते हैं तो उन्हें अनंतिम प्रवेश दिया जाएगा और उनके द्वारा संस्थान द्वारा यथानिर्धारित तारीख तक या उससे पूर्व पात्रता परीक्षा का परिणाम प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

**17. प्रवेश सूचना –** (1) शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की सूचना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संस्थान की वेबसाइट पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की जाएगी।

(2) प्रवेश की अधिसूचना में शैक्षणिक कार्यक्रमों का ब्यौरा, अध्ययन कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या, कार्यक्रम की अवधि, प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता, आयु-सीमा, प्रवेश परीक्षा केंद्र का स्थान तथा अन्य सूचनाएं शामिल होंगी।

(3) संस्थान भावी विद्यार्थियों के संदर्भ के लिए प्रवेश विवरणिका सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

(4) पाठ्यक्रम कार्यक्रम की संरचना, प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, आरक्षण नीति, विभिन्न वर्गों के तहत सीटों का आबंटन, कार्यक्रम की अवधि, शुल्क संरचना तथा ऐसी अन्य जानकारी प्रदान की जाएगी।

**18. प्रवेश परीक्षा –** (1) बैचलर ऑफ डिजाइन अथवा इंटीग्रेटेड मास्टर्स अथवा मास्टर ऑफ डिजाइन अथवा डॉक्टोरल डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश, संयुक्त प्रवेश समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा अर्थात् डिजाइन एप्टिट्यूड टेस्ट में मैरिट के आधार पर दिया जाएगा।

(2) संस्थान को सभी राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों अथवा स्वयं के लिए डिजाइन एप्टिट्यूड टेस्ट आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है, जिसके लिए संस्थान को सीनेट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

**19. सीटों का आरक्षण -** संस्थान, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रासंगिक नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

**20. विदेशी छात्रों को प्रवेश –** विदेशी छात्रों के लिए बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ डिजाइन कार्यक्रमों में अधिसंख्य आधार पर पंद्रह प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

बशर्ते कि ऐसे कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों के लिए भी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

**21. प्रवेश समिति और प्रवेश प्रकोष्ठ –** (1) निदेशक द्वारा प्रवेश समिति और प्रवेश प्रकोष्ठ का विधिवत् रूप से गठन किया जाएगा।

(2) प्रवेश समिति सीनेट के पूर्वानुमोदन से प्रवेश परीक्षा के लिए मानक और प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

(3) प्रवेश प्रकोष्ठ उप-पैराग्राफ (2) में संदर्भित मानकों, प्रक्रियाओं और मानदंडों को कार्यान्वित करेगा।

नीतिका देवगन, निदेशक (कार्यकारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./198/2024-25]

**NATIONAL INSTITUTE OF DESIGN, MADHYA PRADESH**

**NOTIFICATION**

**ORDINANCE**

Madhya Pradesh, the 11th June, 2024

**No. Senate – 12/12/2023**.—In exercise of the powers conferred under section 30 and section 31 of the National Institutes of Design Act, 2014 (18 of 2014), the Senate of the Institute hereby makes the following Ordinance for the National Institute of Design, Madhya Pradesh, namely:

**1. Short title and commencement.-**(1) These Ordinances may be called the National Institute of Design Madhya Pradesh Ordinance, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

**2. Definitions:** (1) In these ordinances, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means the National Institute of Design Act, 2014 (18 of 2014) ;

(b) "academic" means the activities concerned with education like teaching, learning, practicing, research and publication;

(c) "academic calendar" means the schedule of activities related to academics;

(d) "academic programme" includes the sequence of academic activities leading to a degree, a diploma or a certificate;

(e) "academic year" means two regular semesters along with a summer or winter break;

(f) "candidate" means an individual who applies for admission to any undergraduate, postgraduate, doctoral, diploma or certificate programme of the Institute;

(g) "certificate" means any academic programme offered by the Institute up to one year duration approved by the Senate;

(h) "convocation" means the convocation of the Institute;

(i) "course" includes a sequence of topics that can be covered during a semester;

(j) "curriculum of a programme" means a set of courses and other academic activities;

(k) "degree" means any Bachelor of Design, Master of Design and such other degree approved by the Council;

(l) "elective" means the subject offered amongst options in specialized field;

(m) "examination" means any procedure used to assess and evaluate the academic performance of a student;

(n) "grade" means a letter grade indicating the performance of a student in a course;

(o) "jury" means a panel of faculty or external experts for evaluation of performance of students during and at the end of semester;

(p) "student' means a person registered for doctoral degree or post graduate degree or undergraduate degree or diploma or certificate of the case may be and includes a person registered for full time or part time certificate programme of the Institute;

(q) "halls of residence" means hall of residence or hostel established and maintained by the Institute at its campuses for persons enrolled in its programmes.

(2) The words and expressions used and not defined in these ordinances but defined in the Act or the Statutes shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the Statutes.

(3) If there is any conflict between the words and expressions defined in these Ordinances with the Statutes or Act, the corresponding provisions of the Statutes or Act shall prevail.

**3. Enrolment of students –** (1) Every student offered admission to a programme at the Institute shall submit to the academic office of the Institute within the stipulated period, such academic certificates and documents as may be required, failing which his candidature stands cancelled.

(2) Every student offered admission shall pay the tuition and other fees and deposits as notified by the Institute, within the stipulated period, failing which his candidature stands cancelled.

(3) Upon payment of fees and deposits and upon verification and submission of all mandatory documents, the Institute shall provide an enrolment number to the student.

(4) The enrolment number shall be the permanent reference number in all records of the Institute pertaining to the student concerned.

(5) The date of initial registration for any programme shall normally be the date on which the student formally registers for the respective course upon payment of fees which shall be construed as the date of joining the programme for all intents and purposes.

(6) The enrolment of a student may be terminated on disciplinary grounds, in accordance with the disciplinary rules of the Institute.

**4. Tuition and other fees and deposits. -** The specified tuition fees, other fees and deposits, except mess charges, as approved by the Governing Council, shall be payable byall students at the beginning of each academic year or semester as specified by the Institute.

**5. Attendance, absence and leave for the students -** (1) A student shall be required to have minimum attendance at all lectures; tutorials; studio work, workshop practice sessions, field work, seminars and such other interfaces as may be determined by the Academic Advisory Committee of the Institute.

(2) Any leave or absence other than for medical reasons shall require prior approval of the discipline lead.

(3) The students who fulfill the minimum required attendance including approved leave of absence, if any, shall be eligible to appear for semester end evaluation.

**6. Students disciplines and conduct. –** (1) Every student shall observe discipline and maintain decorum both inside and outside the campus and shall not indulge in any activity which may bring disrepute to the Institute.

(2) Every student shall observe the code of conduct stipulated in respective Ordinances made for this purpose.

(3) Any act of indiscipline committed bya student shall be dealtwith in accordance with the norms and procedure specified in the respective Ordinance.

**7. Academic calendar. -** The Activity Chairperson (Education) and Dean in consultation with Discipline leads shall prepare and finalise the academic calendar of teaching and research programmes at the Institute and its campuses prior to beginning of each academic year.

**8. The Foundation programme. –** (1) The Bachelor of Design programme shall commence with a one year common Foundation Programme

(2) The Foundation Programme shall provide the necessary direction, stimuli, facilities and experience to foster creativity and design thinking.

(3) Allocation of discipline choice of student for the Bachelor of Design Courses at the end of the common Foundation Programme shall be based on merit-cum-choice basis, for the number of seats prescribed in each discipline.

**9. Maintenance of student records. –** (1) The Registrar shall maintain a personal record of every student admitted to the academic programmes at the respective campus and such personal information shall be kept confidential. The personal record shall contain –

(a) Personal information filled by the student at the time of admission;

(b) Information about parents and local guardian;

(c) medical history and fitness certificate submitted at the time of admission;

(d) all undertakings submitted by the student;

(e) copy of any warning letters or memos issued to the student;

(f) communication with the student or parent or guardian, if any;

(g) copy of all evaluation grade sheets and academic progress reports issued to the students;

(h) record of admission to the hostel including payment of fees; and

(i) record of payment of fees of institute and all such other information relevant to the study and campus life of the students.

**10. Conduct of examinations-** (1) The Institute shall have credit based evaluation and assessment system, for the students during and at the end of semester conducted as under-

(a) credits based evaluation system including correlation between credit units, week units and the corresponding study load in terms of hours per week;

(b) credits assigned to each course of study;

(c) credits assigned for co-curricular and extra-curricular activities;

(d) grading system including grading scales;

(e) components of academic evaluation including coursework and jury;

(f) parameters and stages of evaluation and assessment of any course;

(g) pre-requisites governing advancement of a student to the next semester or year; and

(h) such other criteria as may be notified by the Institute;

(2) A student shall be required to fulfill credit and evaluation norms at every individual course level, semester-end Jury level and Graduation Project level for successful completion of a programme of study.

(3) The credit and evaluation norms for undergraduate and postgraduate programmes applicable on the date of commencement of these Ordinances shall remain valid and apply for purpose of evaluation of all programmes until the credits and evaluation norms are prepared and rectified by the Senate on recommendation of the academic advisory committee.

**11. Graduation design project. –** Each student shall undertake a design project and demonstrate expertise as independent practitioner of design in the last semester of the respective programme.

**12. Grievances Redressal Committee. –** (1) The Director shall appoint an academic grievances redressal committee to address grievances relating to academic matters.

(2) The Committee shall comprise of at least three members of the faculty to be nominated by the director.

(3) The faculty member against whom a grievance is made shall not be nominated as a member of such Committee.

(4) Any grievance related to academic matters shall first be submitted to the Activity Chairperson (Education), who shall resolve the grievance in consultation with the Discipline lead concerned or the authorities concerned, failing which the grievance shall be addressed to the grievances redressal committee.

(5) The grievances redressal committee shall submit its recommendations to the Activity Chairperson-(Education).

(6) The recommendations of the grievances redressal committee shall be communicated to the student concerned within a month of filing of the grievance.

**13. Allotment of discipline. –** (1) A student shall be required to fill preference of discipline in the undergraduate programme before end of the second semester and academic office shall initiate this process in coordination with the Discipline lead, Foundation Studies.

(2) Disciplines shall be allotted the by considering the following factors:

(a) Order of merit list based on the Annual Grade Point Average scored in the first year.

(b) Discipline Preference list submitted by the student.

(c) Availability of seats in the respective discipline.

(3) In case of tie of scores of the students, the following criteria shall be adopted for allotment of Disciplines:

(a) In case of tie in Annual Grade Point Average, the Semester Grade Point Average of second semester will be checked.

(b) In case of tie in second semester Semester Grade Point Average, the Semester Grade Point Average of first semester will be checked.

(c) In case of tie in first semester Semester Grade Point Average too, the Course Grade Point Average of second semester will be checked.

(d) In case of tie in second semester Course Grade Point Average, then the Course Grade Point Average of first semester will be checked.

(e) In case of tie in first Semester Course Grade Point Average, then the second Semester Jury Grade Point Average will be checked

(f) In case of tie in second Semester Jury Grade Point Average, then the first Semester Jury Grade Point Average will be checked.

(g) In case of tie in first Semester Jury Grade Point Average, then the second Semester Course Grade Point Average will be checked

(h) In case of tie in second Semester Course Grade Point Average, then the first Semester Course Grade Point Average will be checked.

(i) In case of tie in the first Semester Course Grade Point Average, the Institute will follow a lottery system for finalising the decision.

**14. Courses of study. –** (1) The Institute shall offer courses of Bachelor of Design; Master of Design; Doctoral Degree, Diploma, Certificate in various Design disciplines mentioned under National Institute of Design Statutes, 2023.

(2) The Undergraduate Programmes shall be of eight semesters that commences with two semesters common foundation programme followed by six semesters in faculty streams or specialised disciplines, out of which the last semester shall include graduation project.

(3) The duration of Postgraduate Programmes shall be five semesters in Faculty Streams or specialised disciplines, out of which the last semester shall include graduation project.

**15. Educational principles.** – (1) The curricular structure, syllabus and teaching or learning methodologies adopted by the Institute for all teaching programmes shall include a combination of rational, logical and sequential innovative process of theory, research and skills with emphasis on hands on and minds on approach to perception, analysis, and visualisation of multiple solutions for design problems, live exposure to design projects and field experience, aimed at meeting inter alia the following academic objectives namely: -

(a) inculcate the ability to think independently and holistically;

(b) innovate and learn through creative exploration and experimentation;

(c) develop sensitivity to and understanding of cultural diversity;

(d) develop felicity in creative problem solving;

(e) integrate opportunities for experiential learning;

(f) reinforce and integrate design learning with environmental, technological and social policy issues for strategic design intervention in all fields of the economy;

(g) capitalise on the unique strengths in biodiversity, culture and crafts;

(h) generate opportunities for design based research;

(i) provide leadership to design profession; and

(j) spread the power of design for the benefit of the society.

(2) All academic programmes offered by the Institute shall be oriented to incorporate the following namely: -

(a) interdisciplinary approach to design for transferring culture to viable products and services;

(b) strong skill base through hands-on experience;

(c) exposure to real life professional situations through structured internship and design projects to

provide competitive edge to products and services through design process and application of various design disciplines;

(d) awareness of social and ethical dimensions of design;

(e) value-based and socially relevant design; and

(f) global perspectives in design education and practice;

(3) The overall structure of the Institute's academic programme shall be a combination of theory, skills, design projects and field experiences, stakeholders feedback on the industry, market needs, cutting edge design studios, skill and innovation labs, and the Knowledge Management Centre, and such other related infrastructural facilities.

**16. Admission of the students: -** (1) Eligibility for Bachelor of Design Programmes, -

(a) Candidate who has passed Higher Secondary Certificate Examination from a recognised Board shall be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programmes.

(b) Candidate who has appeared for the qualifying examination and whose result has not been declared at the time of application for admission shall also be eligible to apply for admission to the Bachelor of Design programmes:

provided that such candidates shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date as may be specified by the Institute, failing which the admission shall stand cancelled.

(2) Eligibility for Master of Design Programmes:

(a) The eligibility criteria to apply for admission to the Master of Design programmes offered by the Institute shall be Bachelor's Degree or equivalent in the relevant field as specified by the Senate.

(b) Candidate who has appeared for the qualifying examination and whose results has not been declared at the time of application for admission to the Master of Design programme shall also be eligible to apply for admission to the Master of Design programme:

provided, however, that such candidates shall, if selected, be granted provisional admission and shall be required to submit the result of the qualifying examination on or before the date as may be specified by the Institute, failing which the candidate's admission shall stand cancelled.

**17. Admission notice. –** (1) Admission to the academic programmes shall be notified at the national level through print, electronic media and on the website of the Institute.

(2) The admission notification shall include details of academic programmes, number of seats in each courses of study programme, duration of the programmes, minimum eligibility for admission, age limits, venues for the admission test centers and such other information.

(3) The Institute shall also make available admissions brochure information for reference of the prospective students.

(4) The information related to course programme structure, eligibility criteria for admission, reservation policy, allocation of seats under various categories, duration of the programme, fee's structure, and such other information.

**18. Admission test. –** (1) Admissions to the Bachelor of Design or Integrated Master's or Master of Design or Doctoral Degree programmes shall be granted on the basis of merit at the national level admission test, i.e., Design Aptitude Test to be conducted by the Joint Admissions Committee.

(2) The Institute is entrusted to conduct the Design Aptitude Test for all the National Institutes of Designs or only for itself, the Institute may adhere to the processes laid down by the Senate.

**19. Reservation of seats. –** The Institute shall follow relevant rules and regulations with respect to reservation of seats for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, differently abled candidates and other special categories of persons as notified by the Central Government for Institutions of National Importance.

**20. Admission to Foreign Students. –** Fifteen percent seats on supernumerary basis in Bachelor of Design and Master of Design Programmes of studies shall be provided for candidates of foreign nationality:

provided that foreign students applying for admission to the such programme shall also be required to qualify the admission test.

**21. Admission Committee and Admission Cell. –** (1)The admission committee and the admission cell shall be duly constituted by the Director.

(2) The admissions committee with the prior approval of the Senate shall lay down the norms and procedures for the admission tests.

(3) The admission cell shall implement the norms, procedures and the criteria referred to sub-paragraph (2).

NEETIKA DEVGAN, Director (Officiating)

[ADVT.-III/4/Exty./198/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.06.25 18:41:47 +05'30'